डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी 1992—फाल्गुन 10, शके 1913

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 1992

क्र. 1929-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 25 फरवरी 1992 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् १९९२

मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) अधिनियम, १९९२

[दिनांक २५ फरवरी १९९२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २९ फरवरी १९९२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९९१ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) अधिनियम, १९९२ है.

२. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९९१ (क्रमांक १४ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ की उपधारा (१) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा २ का संशोधन.

"(गग) "नगर स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित समिति;".

धारा २ का संशोधन. २. मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (ङ) में, उपखंड (एक) और (दो) को क्रमशः उपखंड (दो) और (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपखंड (दो) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) राज्य में के प्रत्येक नगरपालिक निगम, नगरपालिका और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए एक नगर स्तरीय समिति;".

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) पार्श्वशीर्ष में, शब्द—"जिला स्तरीय समिति" के स्थान पर शब्द "जिला स्तरीय समिति, नगर स्तरीय समिति" स्थापित किए जाएं;

(दो) दो बार आने वाले शब्द "जिला स्तरीय समिति" के स्थान पर शब्द "जिला स्तरीय समिति, नगर स्तरीय समिति" स्थापित किए जाएं;.

धारा ५ के स्थान पर नई धारा का स्थापन. ५. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

समितियों का अधीक्षण और मार्गदर्शन. "५. धारा ४ के अधीन न्यस्त किए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय समिति, खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अध्यधीन रहेगी. नगर स्तरीय समिति और खंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अध्यधीन रहेगी और जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अध्यधीन रहेगी".

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 1992

क्र. 1930-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) अधिनियम, 1992 (क्रमांक 6 सन् 1992) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 1992.

THE MADHYA PRADESH (LOK ABHIKARANON KE MADHYAM SE) DINDAYAL ANTYODAY KARYAKRAM KA KARYANVAYAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1992.

[Received the assent of the Governor on the 25th February, 1992; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 29th February, 1992.]

An Act to amend the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyodav Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992.

Amendment of Section 2.

2. In sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(cc) "Town Level Commitee" means a committee constituted under Section 3;".

Amendment of Section 3.

3. In clause (b) of Section 3 of the Principal Act, sub-clauses (i) and (ii) shall be re-numbered as sub-clauses (ii) and (iii) respectively and before sub-clause (ii) as so re-numbered the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(i) a Town Level Committee for every Municipal Corporation, Municipality and Special Area Development Authority in the State;".

Amendment of Section 4.

4. In Section 4 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading for the words "district Level Committee" the words "District Level Committee, Town Level Committee" shall be substituted ;

(ii) for the words "District Level Committee" occuring twice the words "District Level Committee, Town Level Committee" shall be substituted ;

Substitution of new Section for Section 5.

5. For Section 5 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Superintendence and guidance of committees.

"5. For discharging the functions entrusted under Section 4, the Gram Panchayat Level Committee shall be subject to Superintendence and guidance of the Block Level Committee and District Level Committee. The Town Level Committee and the Block Level Committee shall be subject to the Superintendence and guidance of District Level Committee and the District Level Committee shall be subject to the Superintendence and guidance of the State Level Committee.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--1992.